न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
आँगन मालिक (आशुतोष कुमार ठाकुर)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– **471/2020–21,**
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त आँगन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 223/म0नि0 एवं दिनांक–10.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 608/2019, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त आँगन के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–पहलाम वार्ड नं0 13, थाना–सलखुआ, घटना की तिथि– 13.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में अभियुक्त के मकान एवं परिसर की तलाशी लेने पर आँगन में पूरब उत्तर कोना वाले भाग से आर0एस० ब्रांड के 750 एम0एल0 का 03 पीस बरामद किया। अर्थात् 2.250 ली0 जप्त शराब से 0.750 ली० शराब को सक्षम जाँच अधिकारी के पास भेजा गया। शेष विनष्टीकरण हेतु निम्न वर्णित है"– प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त आँगन के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त आँगन के अधिहरण के बिन्दु पर आँगन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। आँगन मालिक आशुतोष कुमार ठाकुर, पिता– सूर्य नारायण ठाकुर, साकिन– पहलाम, थाना– सलखुआ, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। आँगन मालिक का कहना है कि यह मामला उत्पाद विभाग के पुलिस द्वारा गलत ढ़ंग से शराब बरामद दिखाने के आधार पर चलाया गया है। शराब के कारोबार से इनका कोई संबंध नहीं है।	

ये अपने माता–पिता वो भाई–बहन वगैरह से अलग रहकर पढ़ाई करते हैं। बरामद शराब न तो इनका है और न ही इनके घर वो आँगन से बरामद हुआ है। वास्तविकता यह है कि इन्हें गन्दी राजनीति के वजह से उत्पाद विभाग के पुलिस को मेल वो प्रभाव में लाकर झुठा मोकदमा में फंसाया गया है। इनके ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ इस मुकदमा से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त आँगन का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त आँगन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त किये गये परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी अधिहरण प्रस्ताव में अंकित नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

22/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

22/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 1057 /न्याया०, सहरसा, दिनांक - 23.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.2020
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
23/12/2020